भारत सरकार / Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office
पता: द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हरमू चौक, राँची, झारखण्ड - 834002
Add: 2nd Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002
Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in

सत्यमेव जयते

फाइल सं. 4-08/आर.ओ.आर-2015/52 दिनांक: 24 जनवरी, 2025

परिपत्र

परिशिष्ट - 1 में सूचीबद्ध पदों को तदर्थ प्रतिनियुक्ति के आधार पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या सांविधिक या स्वायत संगठन के अधिकारियों से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रांची में अवस्थित क्षेत्रीय कार्यालय राँची में भरे जाने का प्रस्ताव है। पदों से संबंधित पात्रता शर्तें **परिशिष्ट - 2** पर दिये गये हैं।

2. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों के नियम और शर्तें समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन (ओएम नं सं. 6/8/2009/ स्था. दिनांक 17.06.2010 तथा कार्यालय ज्ञापन (ओएम नं) सं. 2/6/2016-स्था.(वेतन - 2) दिनांक 17.02.2016, में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित किए जाएंगे।

3. प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में तीन (03) वर्ष के लिए होगी, जिसे और आगे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के के दिशानिर्देशों के अनुसार आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है । फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी रेखा में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे, और इसी तरह, प्रतिनियुक्ति करने वाले पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्रीय सरकार के इसी या अन्य कार्यालय/ विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले अन्य धारित एक्स कैडर पदों में प्रतिनियुक्ति सहित इस अवधि की प्रतिनियुक्ति सामान्यतः तीन (03) वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. वैसे अधिकारी जो इसके लिए योग्य हैं और वे प्रतिनियुक्ति के आधार पर अपनी नियुक्ति के लिए इच्छुक है तथा जो चयन के तत्काल बाद विमुक्त किये जा सकते है, का विगत लगातार पांच (05) वर्ष के एसीआर/एपीएआर तथा विजिलेंस क्लीयरेंस की प्रति सहित आवेदन उचित माध्यम द्वारा अग्रसारित होना चाहिए तथा आवेदन प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के भीतर उप महानिदेशक वन(केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय राँची, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हरमू चौक, राँची, झारखण्ड - 834002 के पास पहुँच जाना चाहिए।

5. मूल कार्यालय/ विभाग की अनुशंसा करवाए बिना, अपूर्ण आवेदन तथा निर्धारित तिथि के बाद या एसीआर/एपीएआर/डॉजियर/विजिलेंस क्लीयरेंस के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

संलग्न: - उपरोक्त।

24/1/25
(शशि शंकर)
उप वन महानिरीक्षक

प्रतिलिपि:-

1. उप-वन महानिरीक्षक, आर.ओ.एच.क्यू, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली - 110003 ।
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली - 110003- इस अनुरोध के साथ कि परिपत्र को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सभी क्षेत्रीय कार्यालय और उप-कार्यालय ।
4. सूचना पटल ।

<u>**संलग्नक -1**</u>

क्षेत्रीय कार्यालय रांची के निम्न पद, जिन्हें तदर्थ प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है-

क्रम सं.	पदनाम	वेतनमान	रिक्त पदों की संख्या
1.	प्रमुख निजी सचिव	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 11	1
2.	निजी सचिव (वरिष्ठ निजी सहायक)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 7	1
3.	सहायक	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 6	2
4.	कनिष्ठ अनुवादक	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 6	1
5.	उच्च श्रेणी लिपिक	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 4	1

1. **पदनाम** - प्रमुख निजी सचिव

पदों की संख्या – 01

वर्गीकरण - सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ए' राजपत्रित अनुसचिवीय

वेतनमान - वेतन मैट्रिक्स का स्तर 11, रु. 67700-208700/-

पात्रता की शर्तें -

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या सांविधिक या स्वायत्त संगठन के अधीन स्टेनोग्राफर का पद संभालने वाले वे अधिकारी जो-

(i) मुल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप/सद्दश पद धारण करते हो; या

(ii) मूल कैडर / विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8, रु. 47600-151100/- या समतुल्य में छह वर्ष की नियमित सेवा दे चुके हो; या

(iii) मूल कैडर / विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7, रु. 44900-142400/- या समतुल्य में सात वर्ष की नियमित सेवा दे चुके हो

2. पदनाम - **निजी सचिव (वरिष्ठ निजी सहायक)**

पदों की संख्या – 01

वर्गीकरण - सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'बी' राजपत्रित अनुसचिवीय

वेतनमान - वेतन मैट्रिक्स का स्तर 7, रु. 44900-142400/-

पात्रता की शर्तें -

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के वैसे अधिकारी जो -

(i) मूल कैडर / विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप/सद्दश पद धारण करते हो; या

(ii) आशुलिपिक ग्रेड –I के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -6, रु. 35400-112400/- में पांच वर्ष की नियमित सेवा दे चुके हो

3. पदनाम – **सहायक**

पदों की संख्या – 02

वर्गीकरण - सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'बी' अराजपत्रित अनुसचिवीय

वेतनमान - वेतन मैट्रिक्स का स्तर-6, रु. 35400-112400/-

पात्रता की शर्तें -

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के वैसे अधिकारी जो -

(क) (i) मूल कैडर / विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप/सद्दश पद धारण करते हो; या

(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर -5, रु. 29200-92300/- या समकक्ष में छह वर्ष की नियमित सेवा दे चुके हो; या

(iii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4, रु. 25500-81100/- या समकक्ष में दस वर्ष की नियमित सेवा दे चुके हो तथा

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता हो -

आवश्यक अर्हता

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय/ संस्थान से स्नातक की डिग्री।

4. पदनाम - **कनिष्ठ अनुवादक**

पदों की संख्या – 01

वर्गीकरण - सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'बी' गैर-राजपत्रित

वेतनमान - वेतन मैट्रिक्स का स्तर-6, रु. 35400-112400/-

पात्रता की शर्तें -

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध - सरकार या वैधानिक या स्वायत्त संगठनों के वे अधिकारी जो -

(क)(i) मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप/सदृश पद धारण करते हो; या

(ii) मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -5, रु. 29200-92300/- या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में छह साल की सेवा दे चुके हो; या

(iii) मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4, रु. 25500-81100/- या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में दस साल की सेवा दे चुके हो तथा

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव हो-

आवश्यक:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री; अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी को छोडकर किसी अन्य विषय में हिन्दी माध्यम से मास्टर डिग्री; अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी को छोड़कर किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री; अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी को छोड़कर किसी विषय में मास्टर डिग्री जिसके साथ डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी हों अथवा इन दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम हो तथा दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हों, और

हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालय, जिनके अन्तर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी शामिल है, में हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने का दो वर्ष का अनुभव हो।

नोट - 1: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या केंद्र सरकार के किसी विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट - 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किय गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण

प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्यानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

5. पदनाम - **उच्च श्रेणी लिपिक**

पदों की संख्या – 01

वर्गीकरण - सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'सी' अराजपत्रित अनुसचिवीय

वेतनमान - वेतन मैट्रिक्स का स्तर-4, रु. 25500-81100/-

पात्रता की शर्तें -

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के वैसे अधिकारी जो -
(क) (i) मूल कैडर / विभाग या में नियमित आधार पर अनुरूप/सदृश पद धारण करते हो; या
(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर -2, रु. 19900-63200/- में आठ वर्ष की नियमित सेवा दे चुके हो ।

*****

संलग्नक - 3

पद के लिए आवेदन --

क्र.	विवरण					
1.	नाम एवं पता (बडें अक्षरों में)					
2.	जन्मतिथि					
3.	केन्द्र सरकार के नियम के अंतर्गत सेवानिवृति की तिथि					
4.	शैक्षणिक योग्यताएं					
5.	क्रमवार नियुक्ति की तिथि					
	कार्यालय/संस्थान	धारित पद	से	तक	वेतनमान एवं वर्तमान मूल वेतन	कार्य की प्रकृति अनुभव (विस्तार में)
6.	क्या आप पुनरीक्षित वेतन में हैं ? यदि हाँ, तो पुराना वेतनामान तथा नये वेतनमान लागू होने की तिथि का पूरा विवरण दें					
7.	वास्तविक वेतनमान में समान पद पर प्राप्त प्रति माह कुल परिलब्धियाँ					
8.	इस पद के अनुकूल कोई अन्य जानकारी, यदि कोई हो i) अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता ii) व्यावसायिक/पेशेवर प्रशिक्षण iii) नियुक्ति परिपत्र में विहित कार्यानुभव के अतिरिक्त अनुभव					

एतदद्वारा मैं घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन में दिया गया विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही हैं। मैं समझता/समझती हूं तथा सहमति देता/देती हूं कि चयन/ साक्षात्कार के पहले या बाद में किसी भी समय कोई जानकारी गलत या असत्य या गैर-कानूनी पायी जाती है, तो मेरी पात्रता रद्द कर दी जाए। मैं सक्षम अधिकारी के निर्णय मानने के लिए बाध्य हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान -

दिनांक -

भारत सरकार / Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office
पता: द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हरमू चौक, राँची, झारखण्ड - 834002
Add: 2nd Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002
Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in

सत्यमेव जयते

File No. 4-08/ROR-2015/52 **Dated: 24.01.2025**

CIRCULAR

It is proposed to fill up the posts listed in Annexure-I in the Regional Office Ranchi, Ministry of Environment, Forests and Climate Change at Ranchi from amongst officials of Central Government/ Central Government PSU's/State Government's Department on ad-hoc deputation. Eligibility conditions for each of the posts are given in Annexure-II.

2. The terms and conditions of the candidates selected for appointment on deputation basis will be governed as per the conditions laid down in the Government of India, Department of Personnel & Training's OM No. 6/8/2009-Estt., dated 17.6.2010 and OM No. 2/6/2016-Estt. (Pay-II) dated 17.02.2016 as amended from time to time.

3. The period of deputation will be initially for three years and is likely to be extended further as per the guidelines of DOP&T. The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation, and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Office/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three (03) years. The maximum age limit for appointment of deputation shall not exceed 56 (fifty six) years as on the closing date prescribed for receipt of application.

4. Applications of officials who are eligible and are willing to be considered for appointment on deputation basis and who can be relieved immediately after selection may be forwarded through proper channel along with copies of their ACRs/APARs for the preceding five (05) years and Vigilance Clearance Certificate so as to reach the office of the DDGF, Regional Office Ranchi, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, 2nd Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002 within 45 days of its publication.

5. Applications without the recommendation of the parent Office/Department or incomplete applications or applications received after the prescribed date or without ACR/APAR/Dossiers/ Vigilance Clearance will not be considered.

Encl: - As above.

(Shashi Shankar)
Deputy Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Deputy Inspector General of Forests (ROHQ), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor bagh Road, New Delhi – 110 003.
2. The Senior Technical Director, NIC, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor bagh Road, New Delhi – 110 003 with a request to upload the enclosed matter on the Ministry's website.
3. All Regional Offices and Sub-Offices, MOEF&CC, Government of India.
4. Notice Board.

ANNEXURE - I

Posts to be filled up on deputation basis in Regional Office, Ranchi are as under:-

Sl. No.	Name of the Posts	Scale of Pay	Number of vacant posts
1.	Principal Private Secretary (PPS)	Level 11 of the Pay Matrix	1
2.	Private Secretary (Sr. P.A.)	Level 7 of the Pay Matrix	1
3.	Assistant	Level 6 of the Pay Matrix	2
4.	Junior Translator	Level 6 of the Pay Matrix	1
5.	Upper Divisional Clerk	Level 4 of the Pay Matrix	1

1. **Name of the Posts - Principal Private Secretary (PPS)**

No. of Posts - 01 Post (On Deputation)
Classification - General Central Service Group 'A' Gazetted Ministerial
Scale of Pay - Level 11 of the Pay Matrix
Eligibility Conditions -

Officer holding the post of Stenographer under the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Recognised Research Institutions or Universities or Statutory or Autonomous Organisations –

(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre/Department; or
(ii) with six years regular service in Level-8, Rs. 47600-151100/- in the Pay Matrix or equivalent in the parent Cadre/Department; or
(iii) with seven years regular service in Level-7, Rs. 44900-142400/- in the Pay Matrix or equivalent in the parent Cadre/Department.

2. **Name of the Posts - Private Secretary (Sr. P.A.)**

No. of Posts - 01 Post (On Deputation)
Classification - General Central Service Group 'B' Gazetted Ministerial
Scale of Pay - Level 7 of the Pay Matrix
Eligibility Conditions –

Officer under the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Recognised Research Institutions or Universities or Statutory or Autonomous Organisations –

(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre/Department; or
(ii) Stenographers Grade –I in Level-6, Rs. 35400-112400/- in the Pay Matrix with five years of regular service in the grade.

3. **Name of the Posts – Assistant**

No. of Posts - 02 Post (On Deputation)
Classification - General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Ministerial
Scale of Pay - Level 6 of the Pay Matrix
Eligibility Conditions:–

Officer of the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Recognised Research Institutions or Universities or Statutory or Autonomous Organisations –

(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre/Department; or
(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay Level - 5, Rs. 29200-92300/- in the Pay Matrix; or
(iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay Level – 4, Rs. 25500-81100/- in the Pay Matrix; and
(b) Possessing the following educational qualification: -

Essential qualification:

Bachelor's degree form a recognized University/Institute.

4. **Name of the Posts - Junior Translator**

No. of Posts - 01 Post (On Deputation)
Classification - General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial
Scale of Pay - Level 6 of the Pay Matrix
Eligibility Conditions –

Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Recognized Research Institutions or Universities or Public Sector undertakings or Semi – Government or statutory or autonomous organizations:-

(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or

(ii)With six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-5, Rs. 29200-92300/- or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) With ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-4, Rs. 25500-81100/- or equivalent in the parent cadre or department; and

(a)Possessing the following educational qualification and experience:

Essential:

Master's degree of a recognized University in Hindi with English as compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

Master's degree of a recognized university in English with Hindi as a compulsory or elective subject of as the medium of examination at the degree level; or

Master 's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English with Hindi medium and English as a compulsory of elective subject or as the medium of an examination at the degree level; or

Master 's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English with Hindi and English medium and Hindi as a compulsory of elective subject or as the medium of an examination at the degree level ; or

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory elective subject at degree Level; and

Recognized diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government office, Including Government of India undertaking.

Note - 1: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceeding three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of Receipt of applications).

Note - 2: For the purpose of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts(s) for which that grade pay or pay scales is the normal replacement grade without any up gradation.

5. **Name of the Posts - Upper Divisional Clerk**

No. of Posts - 01 Post (On Deputation)
Classification - General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial
Scale of Pay - Level 4 of the Pay Matrix
Eligibility Conditions –

Officer under the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Recognised Research Institutions or Universities or Statutory or Autonomous Organisations –

(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre/Department; or
(ii) with eight years regular service in the Pay Level -2, Rs. 19900-63200/- in the Pay Matrix.

*****

ANNEXURE - III

APPLICATION FOR THE POST OF

____

Sl. No.	Particulars					
1.	Name (in BLOCK LETTERS)					
	Address - Residential					
	Address for Correspondence					
2.	Date of Birth					
3.	Date of retirement under Central Govt. Rules					
4.	Educational Qualifications					
5.	Particulars of the postings/Employment in chronological order					
	Office/Institution	Post held	From	To	Scale of Pay & existing basic pay	Nature of duties Experience (in detail)
6.	Are you in revised scale of pay? If yes, give the date from which the revision took place and indicate the pre-revised scale.					
7.	Total emoluments per month drawn in the actual scale of pay attached to the post					
8.	Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. i) Additional academic qualifications ii) Professional training iii) Working experience over and above prescribed in the vacancy circular					

I do hereby declare that the statements made in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand and agree that in the event of any information being found false or incorrect or incomplete or ineligibility being detected at any time before or after selection/interview, my candidature is liable to be rejected. I shall be bound by the decision of the competent authority.

Candidate’s signature

Place:

Date: